

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,  
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक- 21 / 01 / 2019

**विषय:-** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत राज्य के दो चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

2- चिकित्सा महाविद्यालयों के उत्क्रमण में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण एवं/या अंकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन्डोक्रायनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी आदि क्षेत्रों में "Centre of excellence" के रूप में सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण तथा मशीन एवं उपकरणों से वर्तमान में स्थापित विभागों का उन्नयन शामिल होंगे।

3- योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 150,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचास करोड़) की राशि निर्धारित है। इसमें केन्द्रांश-राज्यांश का अनुपात 80:20 होगा अर्थात् भारत सरकार द्वारा इसमें से प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 120,00,00,000/- (रुपये एक सौ बीस करोड़) मात्र का वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र का वहन किया जायेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र राज्यांश की राशि का वहन राज्य सरकार को करना होगा।

4- इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा अपनी एजेन्सी, M/s HITES, Noida द्वारा कराया जा रहा है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे एजेन्सी को उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि भी कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाना है।

5- अतः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र का आवंटन दी जाती है।

6- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Q

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0418-प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), विपत्र कोड-20-4210011100418, पी0एफ0एम0एस0 कोड-0398 अंतर्गत विषय शीर्ष 5201-मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश सं0-1223(1), दिनांक-06.11.2018 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9- प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से HLL Infra Tech Services Ltd. (HITES) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10- प्राचार्य, डी0सी0 बिल कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त करते हुए, महालेखाकार, बिहार को सीधे भेजेंगे तथा उसकी प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी। इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

01/11/19  
(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विधि-75/2018-95(1)ब0

/स्वा0, पटना, दिनांक-21/01/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर /जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री सुनील शर्मा, आई0आर0पी0एस0, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- CEO, M/s HITES, B-14A, Sector-62, Noida को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/11/19  
सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-21/01/2019

विषय:- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत राज्य के दो चिकित्सा महाविद्यालयों यथा-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

2- चिकित्सा महाविद्यालयों के उत्क्रमण में ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण एवं/या अंकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन्डोक्रायनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी आदि क्षेत्रों में "Centre of excellence" के रूप में सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण तथा मशीन एवं उपकरणों से वर्तमान में स्थापित विभागों का उन्नयन शामिल होंगे।

3- योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 150,00,00,000/- (रुपये एक सौ पचास करोड़) की राशि निर्धारित है। इसमें केन्द्रांश-राज्यांश का अनुपात 80:20 होगा अर्थात् भारत सरकार द्वारा इसमें से प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 120,00,00,000/- (रुपये एक सौ बीस करोड़) मात्र का वहन किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र का वहन किया जायेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र राज्यांश की राशि का वहन राज्य सरकार को करना होगा।

4- इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा अपनी एजेन्सी, M/s HITES, Noida द्वारा कराया जा रहा है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार द्वारा सीधे एजेन्सी को उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की राशि भी कार्यकारी एजेन्सी को उपलब्ध कराया जाना है।

5- अतः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज-3 अन्तर्गत श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश के रूप में रु० 30,00,00,000/- (रुपये तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.2006, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.2008 एवं 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9

8- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110-अस्पताल तथा औषधालय-0418-प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), विपत्र कोड-20-4210011100418, पी0एफ0एम0एस0 कोड-0398 अंतर्गत विषय शीर्ष 5201-मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश सं0-1223(1), दिनांक-06.11.2018 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9- प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से HLL Infra Tech Services Ltd. (HITES) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

10- प्राचार्य, डी0सी0 बिल कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त करते हुए, महालेखाकार, बिहार को सीधे भेजेंगे तथा उसकी प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11- इस योजना की राशि के व्यय की स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।


12- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-75/2018 के पृष्ठ-3/टि0 में प्राप्त है।

13- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी। इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

15- राशि की अग्रिम निकासी में मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-75/2018-III(I)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 21/01/2019


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री सुनील शर्मा, आई0आर0पी0एस0, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- CEO, M/s HITES, B-14A, Sector-62, Noida को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

75